

मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 जनवरी 1996 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 99-2 (एक)-84-अइतालीस-95 (सं.का.) दिनांक 8 जनवरी 1996.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 है,

(2) ये नियम 26 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं, -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1992 (क्रमांक 7 सन् 1973),

(ख) "कूपन पुस्तक" से अभिप्रेत है रेल यात्रा कूपन पुस्तक जो किसी भूतपूर्व सदस्य को जारी की गई हो ;

(ग) "भूतपूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति ;

(घ) "प्रमुख सचिव" से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा तथा उसमें सम्मिलित है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय.

3. भूतपूर्व सदस्यों को कूपन पुस्तकों का दिया जाना, -- अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो उसे प्रथम श्रेणी द्वारा या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के यात्रा करने के लिये, और

(दो) राज्य के बाहर किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान 3000 किलो मीटर तक की यात्रा करने के लिये, जो नियम-11 के उपबंधों के अनुसार संगणित की जायेगी. हकदार बनायेगी :

परंतु यदि कोई भूतपूर्व सदस्य किसी अन्य हैसियत से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी से रेल सुविधाओं का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उक्त रेल सुविधाओं के त्याग की घोषणा प्ररूप "ख" में प्रस्तुत नहीं कर देता.

4. कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा, -- (1) भूतपूर्व सदस्यों द्वारा इन नियमों के अनुसार उपयोग करने हेतु कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये, जब कभी आवश्यक हो सचिव द्वारा महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई को अध्यपेक्षा की जायेगी.

2. ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई, सचिव को प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान कूपन की पुस्तक या द्वितीय श्रेणी कूपन की पुस्तकें, जिनकी उपयोग भूतपूर्व सदस्यों द्वारा और उनके साथ चल रहे व्यक्तियों द्वारा किसी भारतीय रेल में यात्रा करने के लिये किया जा सकता है, प्रमुख सचिव को प्रदाय करेगा और मध्यप्रदेश राज्य के प्रति आवश्यक विकलन करेगा.

5. धन मूल्य जिसकी कि कूपन पुस्तकें उपलब्ध होगी, -- (1) कूपन, पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होंगे, प्रत्येक कूपन पुस्तक में धन मूल्य कूपन निम्नानुसार अन्तर्विष्ट होंगे :-

(1)	8 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00

रुपये 1000.00"

(2)	8 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	200.00
	12 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	120.00
	28 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	140.00
	40 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	40.00

रुपये 500.00"

(3)	4 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	100.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00

रुपये 200.00"

(4)	4 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	40.00
	10 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	50.00
	10 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	10.00

रुपये 100.00

(2) प्रत्येक कूपन पुस्तक पर पुस्तक क्रमांक और उसमें के प्रत्येक कूपन पर पुस्तक क्रमांक तथा अनुक्रमानुसार कूपन क्रमांक अंकित किये जायेंगे.

6. कूपन पुस्तकों की कीमत, -- प्रत्येक कूपन पुस्तक की कीमत वही होगी जो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय.

7. कूपन पुस्तकों पर प्रमाण-पत्र, प्रत्येक कूपन पुस्तक में प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट होगा अर्थात् :-

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी मध्यप्रदेश विधान सभा के/की भूतपूर्व शयनयान/द्वितीय श्रेणी शयनयान/द्वितीय श्रेणी के टिकिट जारी किए जाएं जिसके द्वारा के अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और मध्यप्रदेश राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष में केवल 3,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार होंगे/होंगी.

भूतपूर्व सदस्य/सदस्यों के हस्ताक्षर
अभिप्रमाणित

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

8. कूपन पुस्तकें जारी करने के पूर्व की जाने के लिये अपेक्षित बातें, -- (1) जिस भूतपूर्व सदस्य को कूपन पुस्तक जारी की जा रही हो उस का नाम उसके (कूपन पुस्तक के) जारी किये जाने के पूर्व सचिव द्वारा उस पर लिखा जायगा.

(2) सचिव ऐसी कोई कूपन पुस्तक जारी किये जाने के पूर्व निम्नलिखित घोषणा को (जो कि प्रत्येक ऐसी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित होगी) भूतपूर्व सदस्य से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित करवायेगा, अर्थात्:-

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि रियायत का उपयोग मेरे द्वारा तथा मेरे साथ चल रहे एक व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर और राज्य के बाहर उन यात्राओं के लिये किया जायगा जो कि मुझे मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञेय है."

अनुप्रमाणित

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

.....
भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर

9. एक समय पर उपयोग में लाई जाने वाली कूपन पुस्तकों की संख्या तथा उनकी उपलब्धता, -- (1) (क) कूपन पुस्तकें एक समय में उतने धन मूल्य की जारी की जायेंगी जो किसी भूतपूर्व सदस्य को तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को राज्य के भीतर 3,000 किलोमीटर से अनाधिक तथा राज्य के बाहर 1500 किलोमीटर से अनधिक की यात्रा के लिये हकदार बनाती हो ;

(ख) भूतपूर्व सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जारी किए गए कूपनों से की गई यात्रा, यात्रा की तारीखें, कहां से कहां तक की यात्रा की गई आदि के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए प्ररूप क में प्रस्तुत करें, भूतपूर्व सदस्यों को नई कूपन पुस्तकें, सचिव का यह समाधान हो जाने के पश्चात् जारी की जाएंगी कि ऐसे भूतपूर्व सदस्य को पूर्व में जारी गई कूपन पुस्तकें ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपयोग कर ली गई हैं और कूपन पुस्तकों के प्रतिपण वापस प्राप्त हो गए हैं.

(ग) राज्य के भीतर यात्रा हेतु तथा राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तकें विभिन्न रंगों में होगी ;

(घ) जहां उपयोग में न लाये गये कूपन विधिमान्यता की कालावधि की समाप्ति के पूर्व भूतपूर्व सदस्य द्वारा लौटाए नहीं जाते हैं वहां उनकी कीमत प्रमुख सचिव द्वारा भूतपूर्व सदस्य से वसूल की जाने योग्य होगी.

(2) कूपन पुस्तक केवल उस भूतपूर्व सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी जिसका नाम उस पर विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(3) कूपन पुस्तक किसी भी तारीख से जारी की जा सकेगी तथा ऐसी तारीख तक विधिमान्य रहेगी जैसा कि रेल प्रशासन द्वारा कूपनों पर वर्णित किया जाए.

(4) प्रमुख सचिव प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तकों का लेखा रखेगा.

(5) यदि प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये रेल अभिवहन कूपनों दुरुपयोग को रोकने तथा उनके उचित लेखा रखने के संबंध में आवश्यक अनुदेश, अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करके जारी कर सकेगा.

(6) यदि प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी भूतपूर्व सदस्य उसके जारी किए गए रेल यात्रा कूपनों का दुरुपयोग कर रहा है या उसने उनका दुरुपयोग किया है तो वह अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रेल्वे कूपन, प्रत्याहरित कर सकेगा और तदुपरि ऐसा भूतपूर्व सदस्य धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन रेल कूपनों के लिए हकदार नहीं रहेगा.

(7) यदि किसी भूतपूर्व सदस्य की कूपन पुस्तक खो जाती है या चोरी हो जाती है और भूतपूर्व सदस्य उस आशय की लिखित सूचना प्रमुख सचिव को दे देता है और यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है तो वह रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) तक मूल्य के ऐसे कूपनों को अपलिखित कर सकेगा, अध्यक्ष, ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, केवल एक बार इस शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ;

परंतु भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की दशा में अध्यक्ष रुपये 5,000/- तक के मूल्य के कूपनों को अपलिखित कर सकेगा.

10. कूपन पुस्तक तथा कूपन अहस्तान्तरणीय होंगे, -- (1) इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तकें तथा उनमें के कूपन अहस्तान्तरणय होंगे और वे केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा यात्राओं के लिये उपयोग में लाये जायेंगे, जिनके कि लिये वे जारी किये गये हों.

(2) किसी व्यक्ति के भूतपूर्व सदस्य बन रहने की दशा में, इन नियमों के अधीन जारी कूपन पुस्तकें सचिव को वापस कर दी जाएंगी.

(11) राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना किस प्रकार की जाएगी, -- राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना निम्नानुसार की जायगी:-

(1) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान तक केवल उतनी यात्रा, जितनी कि राज्य के भीतर के अंतिम रेल्वे स्टेशन तथा राज्य के बाहर के गंतव्य स्थान के बीच की यात्रा हो.

(2) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर की किसी स्थान तक की केवल उतनी यात्रा जितनी कि राज्य के बाहर प्रस्थान के स्टेशन से राज्य के भीतर के प्रथम रेल्वे स्टेशन के बीच की यात्रा हो.

12. कूपनों से टिकिट क्रय करने की रीति, -- (1) प्रमुख सचिव प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को एक पहचान-पत्र उपलब्ध कराएगा जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित भूतपूर्व सदस्य का फोटो और भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर होंगे.

(2) यात्रा करने का इच्छुक कोई भी भूतपूर्व सदस्य, कूपन पुस्तक को उस में से किसी कूपन को अलग किये बिना बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा, खुले कूपन, अर्थात् कूपन पुस्तक से अलग कूपन, किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(3) बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक से उतनी संख्या में कूपन स्वयं निकालेगा जितनी कि यात्रा के लिये आवश्यक हो कूपन निकालने के पूर्व बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना पहचान-पत्र दिखाये तथा वह कूपन पुस्तक में के उसके हस्ताक्षर से मिलान करने के प्रयोजन के लिये अपने हस्ताक्षर कागज के टुकड़े पर करें, जहां वास्तविक रूप से अपेक्षित कूपनों से अधिक कूपन बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तक से अलग किये जाय, वहां अलग किए गए कूपनों के पीछे बुकिंग क्लर्क द्वारा एक यथोचित टिप्पणी, जैसे "दोषपूर्ण" ढंग से अलग किया गया लिखा जाए और इस प्रकार लिखे गये टिप्पणी युक्त खुले कूपन उस स्थिति में स्वीकार किये जायेंगे जब कि वे टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जायें, यदि उसी कूपन पुस्तक को, जिससे कूपन अलग किये गये हैं, पेश किया गया हो, और उक्त कूपन पुस्तक की विधिमान्यता की कालावधि समाप्त न हो गई हो.

(4) कूपन या कूपनों के विनियम पर बुकिंग क्लर्क, एकल यात्रा टिकिट जैसा कि अपेक्षित हो, उस पर मुद्रित भाड़े को काट देने के पश्चात् जारी करेगा और टिकिट के पीछे लाल स्याही से केवल शब्द "भूतपूर्व सदस्यों के लिये आर.टी. कूपन" लिखेगा ;

परंतु भूतपूर्व सदस्य के साथ चलने वाले किसी व्यक्ति के लिये --

(एक) तब तक टिकिट जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसी यात्रा के लिये भूतपूर्व सदस्य को स्वयं के लिये टिकिट जारी न किया गया हो,

(दो) भूतपूर्व सदस्य को जारी किये गये टिकिट से उच्चतर श्रेणी का टिकिट जारी नहीं किया जायेगा

स्पष्टीकरण, -- यदि किसी भूतपूर्व सदस्य के पक्ष में जारी की गई दो विभिन्न कूपन पुस्तकों से रेल यात्रा टिकिट जारी करने के लिये कूपन प्रस्तुत किय जायं तो उसको इन नियमों में उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उन्हें बुकिंग क्लर्क द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

13. सीजन टिकटों से संबंधित कूपनों का विनिमय, किराये की संगणना, विधि मान्यता की कालावधि आदि, -- (1) नियम 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रेल प्रशासन, राज्य के भीतर के दो रेल्वे स्टेशनों के बीच की यात्रा के लिए सीजन टिकिट जारी करता है, वहां कोई भूतपूर्व सदस्य कूपनों के विनिमय में ऐसा टिकिट क्रय करने का हकदार होगा, सीजन टिकिट से संबंधित किराये की संगणना, विधि मान्य की कालावधि, किराये की वापसी तथा अन्य विषय उन्हीं शर्तों द्वारा विनियमित होंगे जैसे कि रेल प्रशासन द्वारा जन साधारण के लिये समय-समय पर इस निमित्त अधिकथित की जाए.

(2) अपनियम (1) के अधीन क्रय किए गए किसी सीजन टिकिट के संबंध में नियम 12, 14, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

14. भूतपूर्व सदस्य की पहचान, -- कोई भी भूतपूर्व सदस्य जब कि वह नियम 12 के अधीन उसको जारी किए गए टिकिट से यात्रा कर रहा हो, अपने साथ अपना पहचान पत्र रखेगा जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया गया उसका फोटो होगा और रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा मांग की जाने, पर उसे पेश करेगा.

15. रेल यात्रा कूपनों पर जारी किए गए टिकिट की उपलब्धता, -- टिकिट की उपलब्धता की कालावधि, उस तारीख को ध्यान में रखते हुए जिसको कि वह जारी किया गया हो, वही होगी जो कि साधारण टिकिटों के लिए होती है.

16. तीर्थयात्री कर तथा सीमा कर, -- जब उन स्टेशनों से उन स्टेशनों तक, जहां तीर्थ यात्री कर या सीमाकर उद्ग्रहणीय हो, यात्रा करने के लिए रेल यात्रा कूपन के विनियम में टिकिट जारी किया जाये तब कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थयात्री कर या सीमाकर नगदी में संग्रहित किया जाएगा. इस प्रकार एकत्रित कर की रकम प्रविष्टि टिकिट पर की जाएगी.

17. सामान, -- कोई भी भूतपूर्व सदस्य ऐसा सामान निःशुल्क ले जाने का हकदार होगा जो कि साधारण टिकिटों पर अनुज्ञेय है और भूतपूर्व सदस्य अतिरिक्त सामान यदि कोई हो, के लिए, संबंधित रेल प्रशासन द्वारा विहित समान दर पर नगदी में भुगतान करेगा.

18. कूपन जिनका विनिमय न किया गया हो, -- कोई भूतपूर्व सदस्य जो ऐसे रेल यात्रा कूपन पर, जिनका विनिमय किया गया हो, यात्रा करते हुए पाया जाए तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह बिना टिकिट यात्रा कर रहा है और वह विहित शास्तियों के लिए दायीं होगा. ऐसे मामलों में ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा भाड़ों तथा अतिरिक्त प्रभारों का नगद भुगतान किया जाएगा.

19. कूपनों का उपयोग, -- राज्य के भीतर और अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए रेल यात्रा कूपनों का उपयोग, संबंधित रेल्वे के टिकिट घर में यात्री टिकिटों के लिए उनका (कूपनों का) विनिमय करने के प्रयोजन के लिए उनका (कूपनों का) विनिमय करने के प्रयोजन के लिये तथा आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभारों और शयनयान अधिभारों का भुगतान करने के लिए, किया जाएगा, रेल यात्रा कूपनों का उपयोग चलती हुई रेल में आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभार, शयनयान अधिभार तथा विस्तारित की गई यात्रा के प्रभारों के भुगतान के लिए भी किया जाएगा.

20. कूपनों का अधिग्रहण -- रेल्वे प्रशासन किसी कूपन पुस्तक को, इस सबूत पर कि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है जिन पर वह (कूपन-पुस्तक) जारी की गई है, अधिकृत कर सकेगा. ऐसा करने के पूर्व वह इस मामले को प्रमुख सचिव को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे अधिहरण के लिये उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ऐसे अधिहरण पर कूपन पुस्तकों का मूल्य सचिव को वापिस किया जायेगा.

21. प्रतिदाय--(1) उपयोग में न लाये गये उन कूपनों के संबंध में जो कि संबंधित रेल्वे प्रशासन को प्रमुख सचिव द्वारा के वापस किए गए हो, प्रतिदाय उपयोग में न लाये गये कूपनों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् मंजूर किया जायेगा परंतु यह तब जब कि ये (कूपन) उनकी विधिमान्यता की कालावधि के पश्चात् एक मास के भीतर रेल्वे को वापस कर दिए जाएं.

(2) उपयोग में न लाई गई या अंशतः उपयोग में लाई गई उन टिकटों के संबंध में, जो कि कूपनों के बदले में जारी की गई हों पर प्रतिदाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों के सिवाय मंजूर नहीं किया जाएगा जब कि प्रतिदाय उन सामान्य रद्दकरण संबंधी प्रभारों के, जो कि विद्यमान नियमों के अधीन लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाना चाहिए.

(3) समस्त मामलों में प्रतिदाय केवल प्रमुख सचिव को किया जाएगा और उपनियम (2) में निर्दिष्ट रद्दकरण संबंधी प्रभार भी प्रमुख सचिव द्वारा वहन किए जाएंगे.

22. कूपन पुस्तकों पर नियम 10 से 21 तक मुद्रित किए जाएंगे, -- प्रत्येक कूपन पुस्तक पर, नियम 10 से 21 तक के उपबंध, दोनों उपबंधों को भी सम्मिलित करते हुए, पूर्णतया मुद्रित किए जाएंगे:-

अनुसूची
प्ररूप "क"
[नियम 9(1) (ख) देखिए]

भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण

भूतपूर्व सदस्य का नाम लेखा क्रमांक

अनुक्रमांक	रेल्वे कूपन पुस्तक क्रमांक	यात्रा की तारीख	कहां से	कहां तक	श्रेणी जिसमें यात्री की गई	भूतपूर्व सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति ने किस श्रेणी में यात्रा की	अन्य विशिष्टियां जैसे यात्रा का रद्दकरण या कूपन के चोरी जाने के बाद में घोषणा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यदि कूपन पुस्तक में कूपन शेष बचे हैं तो उनका मूल्य

तारीख

हस्ताक्षर,

भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा,

कूपन नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार रेल अभिवहन कूपन जारी करें :-

1. राज्य के अंदर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक

स्वयं भूतपूर्व सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए रुपये

2. राज्य के बाहर अंदर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक

स्वयं भूतपूर्व सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए रुपये

जारी किए गए लिपिक

अधिकारी

"प्ररूप "ख"

(नियम 3 का परन्तु देखिए)

मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मैं भूतपूर्व सदस्य की हैसियत से भिन्न किसी अन्य हैसियत से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी से रेल सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/कर रही हूँ.

अभिप्रमाणित

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर,